(28)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3805 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.05.2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, बाबडिया कलां, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर भोपाल प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2016-17.

---

1. ओम प्रकाश पाटीदार
2. परमानंद पाटीदार
3. संतोष पाटीदार

   तीनों पुत्रगण श्री कैलाश नारायण पाटीदार
4. हरि नारायण पाटीदार
5. ठाकुर प्रसाद पाटीदार
6. कमला पाटीदार
7. कौशल्या पाटीदार

   चारों पुत्र पुत्री स्व. श्री मदन लाल पाटीदार,

   उपरोक्त सभी निवासीगण ग्राम सलैया,

   तहसील हुजूर, जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्री विजय हरि रामानी, पुत्र श्री श्यामदास हरि रामानी,

निवासी- ई-1/84, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अशरफ अली, शासकीय अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/2/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, बाबड़िया कलां, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर भोपाल द्वारा पारित दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक श्री विजय हरि रामानी द्वारा ग्राम बाबड़ियाकलां प.ह.नं. 50, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित भूमि खसरा नंबर 325, 468, 325/1, 327/2 कुल रकबा 0.093 हैक्टेयर के सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक, बाबड़िया कलां, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदकगण की ओर से हरि नारायण पाटीदार द्वारा दिनांक 04.03.2017 व 14.03.2017 को लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विजय रामानी की भूमि से लगे हुए आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम बाबड़ियाकलां तहसील हुजूर, जिला भोपाल में उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरों की भूमि है, फिर भी सीमांकन से संबंधित कोई नोटिस आवेदकगण को नहीं दिया गया। दूसरी लिखित आपत्ति में आवेदकगण ने राजस्व निरीक्षक को यह भी अवगत कराया कि उपरोक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय जिला भोपाल में प्रकरण विचाराधीन है। इसलिए उक्त प्रकरणों के निराकरण तक सीमांकन कार्यवाही स्थगित करने का निवेदन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 43/अ-12/16-17 दर्ज कर आवेदकगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति को दिनांक 21.03.2017 को निराधार मानते हुए अमान्य कर दिया तथा दिनांक 08.05.2017 को सीमांकन स्वीकृत कर आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र. 43/अ-12/16-17 में आवेदकगण को विधिवत सूचना दिये बगैर पारित किया गया। सीमांकन आदेश दिनांक 08.05.2017 विधि प्रक्रिया व नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के साथ मिली भगत करते हुए मनमाने तरीके से एकपक्षीय सीमांकन कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का विधिवत पालन किये बगैर मेड़ पड़ोसियों को विधिवत लिखित सूचना दिये बगैर पूर्ण की है। इस कारण विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही पूर्ण करने की भी कोई लिखित सूचना आवेदकगण को नहीं दी है, इसलिए राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध आवेदकगण इस न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है, उसे क्षमा करने हेतु आवेदकगण अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया गया है।

(4) आवेदकगण द्वारा इस पुनरीक्षण के साथ राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्रिका, फील्ड बुक, नक्शा, पंचनामा व आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वांन अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में संलग्न उक्त आपत्ति से स्पष्ट है कि सीमांकन आवेदकगण की जानकारी में था। अत: उनके द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति सही नहीं है कि उनकी बिना जानकारी के सीमांकन हुआ। प्रश्नाधीन भूमि का टी.एस.एम. मशीन द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत आपत्ति को अमान्य कर सीमांकन स्वीकृत करते हुए आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, बाबड़िया कलां, राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर